

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-07 अक्टूबर, 2022

विषय:- गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-237/प.-2/22/1/4/2022-23, दिनांक-02.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	40.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20.00
29-अनुरक्षण	30.00
39-औषधि तथा रसायन	50.00
42-अन्य व्यय	30.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500.00
योग-	800.00

(रूपये आठ करोड़ मात्र)

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित

जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० का होगा।

3. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2403001020700 (गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2 015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	09 विद्युत देय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)

3	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
6	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
7	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
8	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
9	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
10	015	2403001020700 गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)

कुल		8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
-----	--	--

महायोग		8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
--------	--	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पु०सं०-108/2022/1741(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(22)/07टीसी, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।

शासनादेश संख्या-108/2022/1741/सैंतीस-2-2022/001-1(22)/07टीसी, दिनांक-07 अक्टूबर, 2022 का संलग्नक-

गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (2022-23)

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मेरठ	0.133	0.533	0.133	0.133	1.997	0.266	0.300	1.023	0.612	10.308	15.438
2	बागपत	0.133	0.533	0.133	0.133	1.498	0.266	0.300	0.768	0.459	7.731	11.954
3	गाजियाबाद	0.133	0.533	0.133	0.133	0.691	0.266	0.300	0.354	0.262	3.568	6.373
4	गौतमबुद्धनगर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.634	0.266	0.300	0.325	0.194	3.271	5.922
5	बुलन्दशहर	0.133	0.533	0.133	0.133	2.074	0.266	0.300	1.063	0.635	9.705	14.975
6	हापुड	0.133	0.533	0.133	0.133	0.998	0.266	0.300	0.512	0.306	5.154	8.468
7	सहारनपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.594	0.266	0.300	0.817	0.488	8.227	12.624
8	मुजफ्फरनगर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.670	0.266	0.300	0.856	0.512	8.623	13.159
9	शामली	0.133	0.533	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	6.046	9.674
10	मुरादाबाद	0.133	0.533	0.133	0.133	1.459	0.266	0.300	0.748	0.447	7.533	11.685
11	अमरोहा	0.133	0.533	0.133	0.133	1.229	0.266	0.300	0.630	0.376	6.344	10.077
12	रामपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.864	0.266	0.300	0.443	0.265	4.460	7.530
13	बिजनौर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.286	0.266	0.300	0.659	0.394	6.641	10.478
14	सम्भल	0.133	0.533	0.133	0.133	1.075	0.266	0.300	0.551	0.329	5.551	9.004
15	बरेली	0.133	0.533	0.133	0.133	1.267	0.266	0.300	0.649	0.388	6.542	10.344
16	बदायूं	0.133	0.533	0.133	0.133	1.363	0.266	0.300	0.699	0.417	7.038	11.015
17	शाहजहांपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.152	0.266	0.300	0.590	0.353	5.947	9.540
18	पीलीभीत	0.133	0.533	0.133	0.133	0.864	0.266	0.300	0.443	0.265	4.460	7.530
19	अयोध्या	0.133	0.533	0.133	0.133	0.845	0.266	0.300	0.433	0.259	4.361	7.396
20	अम्बेडकर नगर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.787	0.266	0.300	0.403	0.241	3.064	5.993
21	सुल्तानपुर	0.158	0.558	0.158	0.158	1.517	0.266	0.300	0.777	0.265	9.830	13.987
22	बाराबंकी	0.133	0.533	0.133	0.133	2.131	0.266	0.300	1.092	0.653	12.002	17.376

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

23	अमेठी	0.133	0.533	0.133	0.133	1.574	0.266	0.300	0.807	0.482	6.128	10.489
24	गोण्डा	0.133	0.533	0.133	0.133	1.306	0.266	0.300	0.669	0.400	6.740	10.613
25	बलरामपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.730	0.266	0.300	0.374	0.223	3.767	6.592
26	बहराइच	0.133	0.533	0.133	0.133	1.248	0.266	0.300	0.640	0.382	6.443	10.211
27	श्रावस्ती	0.133	0.533	0.133	0.133	0.307	0.266	0.300	0.157	0.144	2.586	4.692
28	बस्ती	0.133	0.533	0.133	0.133	1.229	0.266	0.300	0.630	0.376	6.344	10.077
29	संतकबीर नगर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.710	0.266	0.300	0.364	0.218	3.667	6.457
30	सिद्धार्थ नगर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	6.046	9.674
31	गोरखपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.766	0.266	0.300	1.033	0.617	9.408	14.322
32	महराजगंज	0.133	0.533	0.133	0.133	0.844	0.266	0.300	0.561	0.335	5.650	8.888
33	देवरिया	0.133	0.533	0.133	0.133	0.979	0.266	0.300	0.630	0.376	8.344	11.827
34	कुशीनगर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.979	0.266	0.300	0.630	0.376	6.344	9.827
35	प्रयागराज	0.133	0.533	0.133	0.133	2.880	0.266	0.300	1.476	0.582	14.868	21.304
36	कौशांबी	0.133	0.533	0.133	0.133	0.749	0.266	0.300	0.384	0.229	6.866	9.726
37	फतेहपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.670	0.266	0.300	0.856	0.212	5.623	9.859
38	प्रतापगढ़	0.133	0.533	0.133	0.133	1.939	0.266	0.300	0.994	0.594	10.011	15.036
39	झांसी	0.133	0.533	0.133	0.133	0.787	0.266	0.300	0.403	0.241	4.064	6.993
40	ललितपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.979	0.266	0.300	0.502	0.300	5.055	8.334
41	जालौन	0.133	0.533	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	6.046	9.674
42	बांदा	0.133	0.533	0.133	0.133	0.826	0.266	2.800	0.423	0.813	6.262	12.322
43	चित्रकूट	0.133	0.533	0.133	0.133	0.557	0.266	2.800	0.285	0.821	5.874	11.535
44	हमीरपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.845	0.266	2.800	0.433	0.809	7.361	13.446
45	महोबा	0.133	0.533	0.133	0.133	0.518	0.266	0.300	0.266	0.159	4.676	7.117
46	लखनऊ	0.133	0.533	0.133	0.133	3.733	0.266	0.300	0.768	0.459	6.731	13.189
47	उन्नाव	0.133	0.533	0.133	0.133	1.901	0.266	0.300	0.974	0.582	6.813	11.768
48	रायबरेली	0.133	0.533	0.133	0.133	1.478	0.266	0.300	0.758	0.453	7.632	11.819
49	हरदोई	0.133	0.533	0.133	0.133	2.035	0.266	0.300	1.043	0.223	7.507	12.306
50	सीतापुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.517	0.266	0.300	0.777	0.465	7.830	12.087
51	खीरी	0.133	0.533	0.133	0.133	1.421	0.266	0.300	0.728	0.435	7.335	11.417
52	आजमगढ़	0.133	0.533	0.133	0.133	2.150	0.266	0.300	1.102	0.459	6.101	11.310
53	मऊ	0.133	0.533	0.133	0.133	1.133	0.266	0.300	0.581	0.347	7.848	11.407

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

54	बलिया	0.133	0.533	0.133	0.133	1.958	0.266	0.300	1.004	0.400	9.110	13.970
55	वाराणसी	0.133	0.533	0.133	0.133	0.653	0.266	0.300	0.435	0.200	5.370	8.156
56	जौनपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.555	0.266	0.300	0.797	0.476	8.029	12.355
57	गाजीपुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.958	0.266	0.300	1.004	0.600	9.610	14.670
58	चन्दौली	0.133	0.533	0.133	0.133	0.749	0.266	0.300	0.384	0.229	3.866	6.726
59	मिर्जापुर	0.133	0.533	0.133	0.133	1.075	0.266	0.300	0.551	0.329	7.551	11.004
60	सोनभद्र	0.133	0.533	0.133	0.133	0.768	0.266	0.300	0.394	0.235	3.965	6.860
61	संतरविदास नगर	0.133	0.533	0.133	0.133	0.403	0.266	0.300	0.207	0.123	2.082	4.313
62	कानपुर नगर	0.133	0.533	0.133	0.133	2.150	0.266	0.300	1.102	0.659	9.101	14.510
63	कानपुर देहात	0.133	0.533	0.133	0.133	1.651	0.266	0.300	0.846	0.506	8.524	13.025
64	फर्रुखाबाद	0.133	0.533	0.133	0.133	1.018	0.266	0.300	0.522	0.312	5.253	8.603
65	इटवा	0.133	0.533	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	6.046	9.674
66	कन्नौज	0.133	0.533	0.133	0.133	0.672	0.266	0.300	0.444	0.206	3.469	6.289
67	औरैया	0.133	0.533	0.133	0.133	0.787	0.266	0.300	0.403	0.241	7.064	9.993
68	आगरा	0.133	0.533	0.133	0.133	1.459	0.266	0.300	0.748	0.447	10.533	14.685
69	मथुरा	0.133	0.533	0.133	0.133	1.459	0.266	0.300	0.748	0.447	7.533	11.685
70	मैनपुरी	0.133	0.533	0.133	0.133	1.478	0.266	0.300	0.758	0.453	7.632	11.819
71	फिरोजाबाद	0.133	0.533	0.133	0.133	1.325	0.266	0.300	0.679	0.406	6.800	10.708
72	कासगंज	0.133	0.533	0.133	0.133	0.749	0.266	0.300	0.384	0.229	5.846	8.706
73	एटा	0.133	0.533	0.133	0.133	1.402	0.266	0.300	0.718	0.429	7.236	11.283
74	अलीगढ	0.133	0.533	0.133	0.133	3.398	0.266	0.300	1.742	1.041	8.544	16.223
75	हाथरस	0.133	0.533	0.133	0.133	2.864	0.316	0.300	0.647	0.364	4.460	9.883
योग-		10.000	40.000	10.000	10.000	100.000	20.000	30.000	50.000	30.000	500.000	800.000

(रूपये आठ करोड़ मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।